न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—338/2018/225 (2018/00338)

1. हंसराज पुत्र श्रीकिशन जाति नायक, निवासी कादेड़ा रोड़, केकड़ी, तह0 केकड़ी, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. अलोल देवी पुत्री स्व0 मांगीलाल पत्नि बजरंगलाल, जाति नायक, निवासी केकड़ी, तह0 केकड़ी, जिला अजमेर ।
2. उप पंजीयक केकड़ी, पंजीयन कार्यालय केकड़ी, जिला अजमेर ।
3. तहसीलदार, केकडी, तहसील कार्यालय केकड़ी, जिला अजमेर ।
4. राजेन्द्र चौधरी पुत्र रामस्वरूप चौधरी, जाति जाट, निवासी केकड़ी, तह0 केकड़ी, जिला अजमेर ।
5. रामपाल नायक पुत्र श्रीकिशन नायक, निवासी केकड़ी, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर ।
6. रतनलाल पंवार पुत्र मोहनलाल पंवार, जाति मोची, निवासी केकड़ी, तह0 केकड़ी, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

<u>अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी दिनांक 18.10.2018 अंतर्गत प्रकरण संख्या 54/2018.</u>

<u>उपस्थितः—</u>

1. श्री शांतिप्रकाश औझा, वकील अपीलांट ।
2. श्री राकेश अरोड़ा, वकील रेस्पो0 संख्या 1.
3. श्री आर0पी0 शर्मा, वकील रेस्पो0 संख्या 6.
4. रेस्पो0 संख्या 4 से 5 अनुपस्थित ।
5. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2 व 3.

निर्णय

दिनांकः— 12.11.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के निर्णय दिनांक 18.10.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. वादीगण/अपीलांटस ने अधी0न्याया0 में वाद के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादी/रेस्पो0 के पेश कर कथन किया कि आराजी खसरा नंबर 2586 रकबा 0.22 है0 जिसके साबिक खसरा नंबर 5496 रकबा 1—4—10 तथा खसरा नंबर 2587 रकबा 0.24 है0, खसरा नंबर 2588 रकबा 0.17 है0, खसरा नंबर 7931 रकबा 0.19 है0, खसरा नंबर 7939 रकबा 0.03 है0 जिसके साबिक खसरा नंबर 5524 रकबा 4—1—10 कुल किता 5 रकबा 0.85 है0 वाके ग्राम केकड़ी में पुराना कोटा रोड़ बाई पास की तरफ जंगलात में अवस्थित है जिसका जमाबंदी संवत् 2041 में अलोल पुत्री गोपी, रामलाल,

हंसराज पुत्रान श्रीकिशन, सुवा पुत्र गंगलीया, रामदयाल पुत्र श्रवण जाति नयक के नाम खातेदारी में दर्ज है किन्तु राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत् 2069 में सहवन से वादी हंसराज उर्फ हंसा पुत्रान श्रीकिशन का नाम लिखने से रह गया जो लिपिकीय त्रुटि में आता है जिसे दुरूस्त कर हंसराज पुत्र श्रीकिशन के नाम दर्ज किया जावे । अप्रार्थी अलोल व अप्रार्थी राजेन्द्र व रतन पंवार व अन्य व्यक्ति को कभी भी बेचान नहीं किया है ना ही इनके हक में विक्रय पत्र पंजीबद्ध कराया है । वादी उक्त आराजियात में अपने 1/8 हिस्से पर काबिज चला आ रहा है । लेकिन वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम विलोपित हो जाने के कारण अप्रार्थीगण अलोल देवी, रतन पंवार व राजेन्द्र चौघरी ने फर्जी व कूटरचित दस्तावेज के आधार पर वादी को बेदखल कर कब्जा करना चाहा । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थी को जरिये उसके नोकर, चाकर, मित्र एजेन्ट पारिवारिक सदस्य के पाबंद कराया जावे कि वादपत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित आराजियात में वादी के 1/8 हिस्से में उसके कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में बाधा व दखलदांजी नहीं करे । ना ही उक्त आराजियात के कृषि स्वरूप को नष्ट भ्रष्ट करे अर्थात् उक्त आराजियात में किसी प्रकार का निर्माण नहीं करे, आराजियात को अन्यंत्र रहन, बेचान, बक्षीस, विक्रय नहीं कर एवं वर्तमान राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे । अधी0न्याया0 ने अपने आदेश दिनांक 7.5.2018 द्वारा स्थगन आदेश पारित किये तथा दिनांक 26.6.2018 व 27.7.2018 को पत्रावली तलबी हेतु नियत रही । दिनांक 11.10.2018 को अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत किया तथा अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया जिस पर पत्रावली दिनांक 18.10.2018 को नियत की गई। अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय दिनांक 18.10.2018 को पूर्व में पारित आदेश दिनांक 7.5.2018 में दिये गये आदेश की कियान्विति अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध अग्रिम आदेश तक स्थगित करते हुए शेष पक्षकारान पर पूर्व आदेश दिनांक 7.5.2018 यथावत् लागू रखने के आदेश पारित कर पत्रावली बकाया तलबी हेतु नियत कर दी । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने पर उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 के समक्ष पत्रावली तलबी हेतु नियत थी । बिना संपूर्ण तलबी हुए एवं बिना संपूर्ण अप्रार्थीगण का जवाब प्राप्त हुए प्रार्थी/अपीलांट के अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पर पारित आदेश दिनांक 7.5.2018 को अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध आगामी आदेश तक स्थगित करने में त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 के समक्ष अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया क्योंकि संपूर्ण अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत किये बिना अंतिम बहस नहीं हो सकती थी इसलिये अधी0न्याया0 ने अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध पूर्व में पारित आदेश दिनांक 7.5.2018 को स्थगित कर अप्रार्थी संख्या 1 को एक तरह से विवादित आराजियात का रहन, बय, मुंतकिल करने एवं रिकार्ड में परिवर्तन करने की छूट प्रदान कर दी है जो विधिविरूद्ध है । अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि अप्रार्थी संख्या 1 व 6 को कभी भी अपनी आराजी का बेचान नहीं किया है तथा इनके विरूद्ध कूटरचित फर्जी अंगूठा निशानी लगी हुई विक्रय पत्र अथवा मुख्तयारनामा के द्वारा बेचान नहीं किया है । उक्त विक्रय पत्रों को

निरस्त कराने हेतु सिविल वाद विचाराधीन है तथा परिवार एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना केकड़ी में विचाराधीन है । इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत जवाब के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज रिकार्ड के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध पूर्व पारित आदेश दिनांक 7.5.2018 को आगामी आदेश तक स्थगित करते हुए अपने क्षैत्राधिकार का गलत उपयोग करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है । अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांट का टी0आई0 प्रार्थना पत्र तलबी में विचाराधीन था इसके बावजूद पूर्व पारित आदेश दिनांक 7.5.2018 को अप्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 के विरूद्ध अन्य आदेश तक स्थगित कर दिया है । इस प्रकार शेष टी0आई0 प्रार्थना पत्र में निर्णय करने हेतु कुछ नहीं रह जाता है । अपीलांट उक्त अपील अधी0न्याया0 के आदेश दिनांक 18.10.2018 जो कि रेस्पो0 संख्या 1 की हद तक चुनौती दे रहा है शेष की हद तक पूर्व आदेश दिनांक 7.5.2018 यथावत् रखा है जिसके विरूद्ध उक्त अपील प्रस्तुत नहीं की गई है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.10.2018 जिसके द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 7.5.2018 को अप्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 की हद तक अन्य आदेश तक स्थगित किया है को निरस्त किया जावे तथा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 7.5. 2018 को प्रार्थना पत्र के निर्णय तक यथावत रखा जावे ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । वादवर्णित आराजी खसरा नंबर 2586 रकबा 0.22 है0, खसरा नंबर 2587 रकबा 0.24 है0, खसरा नंबर 2588 रकबा 0. 17 है0, खसरा नंबर 7931 रकबा 0.19 है0, व खसरा नंबर 7939 रकबा 0.03 है0 भूमि प्रार्थी ने रेस्पो0 संख्या 1 को बैचान को प्रतिफल के एवज में बैचान की है तथा विक्रय के समय भूमि का कब्जा भी संभला दिया था। विवादित भूमि पर प्रार्थी/अपीलांट का कब्जा काश्त नहीं है । सिविल न्यायालय द्वारा भी प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया जा चुका है तथा अपर जिला न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त आराजी के दो बार विक्रय करने से पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष में अपीलांट ने स्वंय विक्रय पत्र पंजीबद्ध कराया था जो विधिसम्मत् है जिसकी जांच पुलिस थाना केकड़ी द्वारा करायी गई थी जिसमें भी विक्रय पत्र सही पाया गया है । अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 6 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । विवादित आराजी पर अपीलांटस का कब्जा काश्त नहीं है । अतः अपीलांट खारिज की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 पेश किये जाने पर अधी0न्याया0 ने दिनांक 7.5.2018 को विवादित आराजियात की आगामी पेशी तक रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के संबंध में अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की थी । तत्पश्चात् अप्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष उपस्थित होकर जवाब पेश किया कि विवादित आराजियात प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 को बैचान कर राशि प्राप्त कर ली थी तथा प्रार्थी का विवादित आराजियात पर कब्जा स्वामित्व नहीं है क्योंकि कब्जा विक्रय करते समय रेस्पो0 संख्या 1 को संभला दिया था। वर्तमान राजस्व रिकार्ड में विवादित आराजियात रेस्पो0 संख्या 1 के नाम दर्ज रिकार्ड है । मूल प्रार्थना पत्र अधी0न्याया0 के समक्ष विचाराधीन है जिसमें अप्रार्थी संख्या 4 से 6 की तलबी भी शेष है । अधी0न्याया0

द्वारा पारित आदेश अंतरिम आदेश है ना कि अंतिम आदेश । मूल प्रार्थना पत्र अधी0न्याया0 के समक्ष विचाराधीन है जिसमें बाद साक्ष्य प्रार्थना पत्र का गुणावगुण पर निस्तारण किया जावेगा । रेस्पो0 संख्या 1 विवादित आराजियात का केता होकर राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज है। इसी कारण रेस्पो0 संख्या 1 के विरूद्ध अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 7.5.2018 को निरस्त किया है जिसमें हमें कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

8. अतः अपील अपीलांट निरस्त की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.10.2018 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 12.11.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर